

**छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

कार्या. कार्यपालन यंत्री अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग

बिजली नगर. भिलाई-3, जिला- दुर्ग (छ.ग.), पिनकोड – 490021

वेबसाईट:- [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in), ईमेल:- EEEHTConst.Bhilai@cspc.co.in, टेलीफोन नं.:- 0788.2281954

क्र. का0यं0 / अ0उ0दा0 / निर्माण / 765

भिलाई, दिनांक 11.09.2026

**सार्वजनिक सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 765/400/220 के.व्ही. उपकेन्द्र (PGCIL-Dhamdha) धमधा से 220/132 के.व्ही. उपकेन्द्र बेमेतरा तक 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण कार्य किया गया है, जिसकी कुल लम्बाई 44.423 किलोमीटर है। यह विद्युत लाईन जिला-दुर्ग, तहसील-अहिवारा के अंतर्गत ग्राम- मेड़ेसरा, पथरिया। तहसील-धमधा के अंतर्गत ग्राम- बसनी, दानी कोकड़ी, करेली, तितुरघाट, महाराजपुर, धमधा, ठेंगाभाट, छिराही, बिरोदा, दारगांव, खजरी एवं जिला- बेमेतरा, तहसील- बेरला के अंतर्गत ग्राम- सिलघट, सोंढ़, करामाल, लावातरा, टकसिंवा, बहेरघट, बहिंगा, ताकम। तहसील-बेमेतरा के अंतर्गत ग्राम- बीजाभाट, जेवरी से होकर गुजर रही है।

उपरोक्त उल्लेखित लाईन में नियमित रूप से विद्युत प्रवाह दिनांक 12.09.2026 या उसके पश्चात् कभी भी चालू किया जा सकता है।

अतः आम जनता से अनुरोध है, कि इस विद्युत लाईन के पास न जावें तथा विद्युत लाईन से किसी तरह की छेड़छाड़ न करें। ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है।

विद्युत लाईन से छेड़छाड़ एवं विद्युत लाईन को नुकसान पहुंचाना भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

**“स्वहित एवं राष्ट्रहित में विद्युत की बचत कीजिए”**

इंजी. धर्मेन्द्र कुमार साहू  
कार्यपालन अभियंता  
अति उच्च दाब (निर्माण)संभाग  
छ.स्टेट पा. ट्रांस. कं. लिमिटेड भिलाई